

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH
AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 255 OF 2025

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHERIA

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Response on behalf of the Respondent No. 2 Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	<u>Annexure R2/1</u> Fatehabad Tehsil Incident A True Copy of related records presented by the Range Forest Officer, Fatehabad range.	5-19
3.	<u>Annexure R2/2</u> Shahdhra Railway Line, Yamunapar Incident A True Copy of related records presented by the Range Forest Officer, Etmadpur range.	20-23

4.	<u>Annexure R2/3</u> Kiraoli Tehsil, Achenra- Kirawali Road Incident A True Copy of related records presented by the Range Forest Officer, Kiraoli range.	24-36
5.	<u>Annexure R2/4</u> Krishnapuri, Tehsil Sadar Incident A True Copy of related records presented by the Range Forest Officer, Agra city range.	37-44
3.	Proof of Service	45

THROUGH ADITYA VAIBHAV SINGH

Counsel for UPPCB
A-394, Defense Colony
New Delhi- 110024

PLACE: NEW DELHI

DATE: 26.08.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 255 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Jagan Prasad Teheria

...Applicant

Versus


State of U.P. & Ors.

...Respondents

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.

I, Amit Mishra, aged about 45 years, S/o. Shri D.P Mishra, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Agra, do hereby solemnly affirm and declare oath as under:

1. That in the above-noted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and am authorized to swear the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board.
2. That by means of this application the applicant has raised the grievance regarding large-scale illegal felling of green trees within the Agra District, Uttar Pradesh. The applicant has referred to four incidents of illegal felling of trees:
 - a. **Incident 1-Fatehabad Tehsil (24 March 2025)**
 - b. **Incident 2-Shahdhra Railway Line, Yamunapar (2 April 2025)**



c. **Incident 3**-Kiraoli Tehsil, Achenra- Kirawali Road (25 April 2025)


d. **Incident 4**-Krishnapuri, Tehsil Sadar (28 April 2025).

3. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 23.05.2025, issued notice and directed the respondents to file their reply/response.
4. That in compliance of the above-mentioned directions passed by this Hon'ble Tribunal the Social Forestry Division, Agra has prepared a report. The actions taken in respect to the above-mentioned incidents is detailed herein below:

A. Fatehabad Tehsil Incident (24 March 2025):

- In reference to the above incident a Range Case has been lodged vide Range Case No. 15/Fatehabad/2024-25 under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Rural Tree Protection Act, 1976 on 22.03.2025. Upon following the due process, the wood found at the spot has been seized. Upon investigation, notices have been issued to the accused, and the said Range Case has been forwarded before the court of the Learned Additional Chief Judicial Magistrate 1st, Agra, registered as Case No. 15205/2025, DFO vs. Contractor.

A true copy of related records presented by the Range Forest Officer, Fatehabad, is annexed herewith and marked as **Annexure-R2/1**.



B. Shahdhra Railway Line, Yamunapar Incident (2 April 2025):

- The Range Forest Officer, Etmadpur, upon taking cognizance, visited the spot with range staff on 21.04.2025 and undertook an investigation. During the investigation it was found that the trees were situated on the private land outside the recorded forest area.

A true copy of related records presented by the Range Forest Officer, Etmadpur, is annexed herewith and marked as **Annexure-R2/2**.

C. Kiraoli Tehsil, Achenra-Kirawali Road Incident (25 April 2025):

- The Range Forest Officer, Kiraoli, after receiving information, has taken action under relevant provisions and lodged an FIR No. 02/Kiraoli/2025-26 dated 24.04.2025. A chargesheet No. 88/2025 dated 10.05.2025 is being submitted to the court.

A true copy of related records submitted by the Range Forest Officer, Kiraoli is annexed herewith and marked as **Annexure-R2/3**.



D. Krishnapuri, Tehsil Sadar Incident (28 April 2025):

- Regarding the above incident, FIR No. 241 dated 27.04.2025 has been registered. The Chargesheet has been forwarded by Thana- Jagdishpura to the office of Assistant Police Commissioner, Lohamandi, Agra to produce the same before the concerned court.

A true copy of related records submitted by the Range Forest Officer, City is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/4**.

5. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and everything stated hereinabove are true to my personal knowledge and based on records and nothing material has been concealed therefrom.
6. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified on this the 26 day of August, 2025 at AGRA.....
 Explained to Shri Amit Mishra
 Read by Pastor as Regional Officer
 I have understood UP contents
 Solemnly affirmed & declare on
 Oath on 26/8/2025
 At Agra
 Identified by self


 NOTARY
 Pawan Kumar
 Sharma Advocate
 Dist - AGRA
 Regd No 2323/02
 Valid - 04/12/27
 26/8/2025
 GOVT OF INDIA


DEPONENT

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद रेंज

पत्रांक 22/35-3

दिनांक : 06/08/25

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा.वा. प्रभाग आगरा

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 255/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपके कार्यालय पत्रांक 672/35-3 दिनांक 01.08.2025

महोदय,


उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 22.03.2025 को श्री मायाराम वनविद् द्वारा नियमित गस्त के दौरान अधोहस्ताक्षरी को अगवत कराया कि सलेमपुर धनकर में राजस्व भूमि में कच्ची सड़क का निर्माण में जे०सी०बी० द्वारा वृक्ष उखाड़ दिये हैं। तत्काल कर्मचारियों के साथ अधोहस्ताक्षरी मौके पर पहुँचकर उखाड़े वृक्षों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लेखपाल श्री बृज मोहन को दूरभाष पर सम्पर्क कर राजस्व भूमि में कच्ची सड़क के निर्माण में बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों तथा ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाकर कच्ची सड़क निर्माण में उखाड़े वृक्षों के बारे में पूछा तो बताया कि जे०सी०बी० वाले ने श्री करमवीर सिंह पुत्र मुकेश निवासी रददी गढ़ी कला बिसेरा पोस्ट थेरई थाना ताजगंज ब्लॉक बमरौली अहीर आगरा ने वृक्षों को उखाड़ा है। मौके पर जड़ सहित उखाड़े गये 8 देशी बबूल के वृक्षों की गोलाई नपत कर श्री मायारा वनविद् द्वारा उ.प्र. ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विभागीय एच.2 केस सं. 15/फते./24.025 का जारी किया गया।

उक्त केस की जाँच श्री राकेश उपाध्याय वनविद् द्वारा की गई। उनके जाँच के दौरान पाया कि कुछ पंड़ मिट्टी में दबे हुए हैं जो जे०सी०बी० द्वारा मिट्टी को हटाने के उपरान्त 10 पेड़ जड़ सहित निकाले गये तथा मौके पर ही जड़ सहित उखाड़े गये पेड़ों की गोलाई की नपत की गई।

जाँच अधिकारी की जाँच आख्या के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 244/35-1 दिनांक 6 जून 2025 के द्वारा केस मा. न्यायालय हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भागीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
फतेहाबाद रेंज

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आगरा

सं.

/35-3-3

दिनांक आगरा.....

सेवा में,

परगना मजिस्ट्रेट

परगना अपर मुरवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (I)जि० आगरा

द्वारा - रेंज ऑफिसर फतेहाबाद
विषय - वन अपराध 15/फतेहा/24-25 की शिकायत
सन्दर्भ - भारतीय वन अधिनियम (उत्तर प्रदेश संशोधन 9E64)
की धारा 4, 26, 69 ए एवं 63

महोदय,

इस प्रभाग की वन अपराध सं. 0.111/आगरा/2024-25 के निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम को उपरोक्त धारों के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जावे।

- (1) शिकायत पत्र 02
- (2) मुक्त एच०टू० के सं. 15/फतेहा/24-25 मय सम्बन्धित रिपोर्ट के
- (3) कार्यालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र
- (4) पकालबनामा 01
- (5) धारा 4/10 के विज्ञप्ति की सत्यप्रति
- (6) नोटिस प्रति 01
- (7) मुपजगीनामा 01
- (8) कर्षण प्रमाण - 02
- (9) गैरपरिष्कार - 01
- (10) संलग्नक - उपरोक्त 3-नामों की मूल प्रति

संलग्नक - उपरोक्त

भवदीय-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
आगरा

(i) 35-3-3 उक्त दिनांक

सं.

प्रतिलिपि रेंज ऑफिसर.....को सूचनाार्थ एव
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/उपरोक्त प्रलेखों की आज अपने न्यायिक द्वारा जाँच करवाकर परगना दण्ड
अधिकारी से न्यायालय में तुरन्त प्रेषित करें।

भवदीय-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सेवा में,

न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद आगरा

(शिकायत- पत्र)

(1) प्रथम सूचना-दाता का नाम व पता.....

(2) अभियुक्तों का पूरा नाम व पता

- 1 नाम अरवि कुमार शर्मा पुत्र मुकुलेश चित्तारी - रूढ़ी गठी कला-विशेष
- 2 नाम पुत्र पो-हेरई
- 3 नाम पुत्र पता- तालगंज बरोली अहीश आगरा
- 4 नाम पुत्र
- 5 नाम पुत्र
- 6 नाम पुत्र
- 7 नाम पुत्र
- 9 नाम पुत्र
- 10 नाम पुत्र

(3) अपराध की तिथि एवं स्थान

- 1 तिथि १२ मार्च २०२५
- 2 समय दोपहर-२:३० बजे
- 3 स्थान सलेमपुर ब्लॉक

(4) अपराध का संक्षिप्त विवरण

दिनांक १२/०३/२०२५ को सलेमपुर ब्लॉक ग्राम में वाक्ये रास्ते की बाक्ये रास्ते बनाने में अवरोध वृद्धों को जे.सी.बी द्वारा छड़ से उखाड़ा गया।

(5) साक्षियों का पूरा नाम व पता

- 1 नाम रमेश चंद्र (व.र.)
- 2 नाम
- 3 नाम

(6) वन क्षति रुपये (अंकों में) 5700/- (शब्दों में).....

(7) भारतीय वन अधिनियम 27 की धारा 4/10

(8) भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा.....

के अन्तर्गत दण्डित किया जाये।

क्षेत्रीय वन अधिपति
शिकायतकर्ता
फतुहादिरन्ज
सत 0 वा 0 प्रभाग, आगरा

न्यायालय में उपस्थिति से मुक्त करने का प्रार्थना-पत्र

न्यायालय.....सी.ए. सुब्बाय्य स्वामीय मजिस्ट्रेट, 5113 (1).....

थाना.....पुल्लिवाडी..... जिला.....सागरा.....

भारतीय वन अधिनियम की धारा.....11/10.....

अभियोग उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग व नाम.....

श्रीमान्,

निवेदन है कि प्रार्थी अभियोगी जन सेवक होने के नाते जिले के वादों तथा राजकीय कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केस में प्रति दिन सुनवाई पर उपस्थित होने में प्रार्थी असमर्थ रहेगा। इसलिये प्रार्थी की ओर से श्री ए.पी. सुब्बाय्य मजिस्ट्रेट..... एडवोकेट पैनल लाइयर (न्यायिक अभिभावक) पैरवी करेंगे।

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग में सुनवाई के दौरान प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्रार्थी :-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

बकालतनामा

अदालत... 27/4/20... मु. नं. 200 / 0 वादी

मु० नं० 27/4/20 सन् 200 / 0 वादी
बनाम... ताराजीर सिंह
प्रतिवादी

मैं प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

जो कि हम को पैरवी करना इस मुकदमे में आवश्यकता है इसलिए अपनी ओर से श्री देवी प्रसाद पाण्डेय एडवोकेट पैनल लाइयर अदालती कानून को तैयारता गहनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस मुकदमे में हमारी ओर से रायत दाखिल करें

और प्रश्नोत्तर करें और प्रार्थना पत्र प्रत्येक प्रकार का और अन्य कागजात इस मुकदमे के सम्बन्ध में सवाल पंचायत दाखिल व तरादीक कर या वाजदावा या सुलहनामा या दस्तवदारी दाखिल करे और रूपया वाफतनी हमारा यावत जर नगद व वापसी स्टाम्प कोर्ट फीस व तलवानी यगैरह वसूल करके रसीद दें या अपनी जानिव से किसी को पंच मुकर्रि करे और कुल काग मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे में अन्त तक करे या आवश्यकता पर किसी को इस मुकदमे की पैरवी के वास्ते वकील नियत करे या अपील दायर करे ख्वाह अपील में मेरी तरफ से जबाव देही करे तथा कागजात सबूत दाखिल करे और किये हुए कागजात वापिस ले तथा यह सब वकील का कार्य स्वयं अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और होगा एवं कलाय साहिवान को इख्तयार होगा कि अगर महनताना तैयारता हस्व वायदय उनको वसूल न हो तो वह पैरवी बहसा न करे इसलिए वकालतनाम लिख दिया कि सनद होवे और आवश्यकता के समय काम आवे।

फख्त तहरीर तारीख सन् 200

तारीख दाखिल सन् 200

वकालतनामा स्वीकार है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

(श्री... एडवोकेट)
पैनल लाइयर

हरताक्षर

हरताक्षर

गवाह

गवाह

नाम फरोकैन इख्तदाई

नम्बर मुकदमा इख्तदाई

नाम अदालत इख्तदाई

महोदय, प्रमत्त केस को लॉच हेतु दिनांक 23/3/2025 को श्री आचार्य बालिवंद के साथ अफिल
 एनकर बना रिपोर्ट त- धातुआप आगरा पहुचक ओके को लॉच को अड/लॉच 2. 2. 2025
 अक्ष में 261 में कच्चे शस्त्रे को पक्की अक्ष का निर्माण कार्य हो रहा है जो निर्माण कार्य के अंतर्गत
 धातु को जे.सी. वी द्वारा उल्लव दिया गए है। रिपोर्ट आर बबूत पेड पर अहित उल्लव को
 ओके पर निरीक्षण करने पर आणस हुआ कि कुदा पेड गिरने में दले हने जो जे. सी. वी
 द्वारा लेशी को हलने के उपरांत 10 पेड लव अहित निकले जिसकी औकाई अक्ष : 2 पेड बाह्य
 30 व 35 cm. नीख 25 cm. बबूत 32, 35, 20 cm (धुलीपुला) एन, 30, 28, 30 cm
 जिसकी ओके पर फर्द बरपादगी बनाई गई तथा बबूत की गई उपरोक्त लक्षणों को ओके पर
 श्री आपन शुभुधारी में लीने को तैयार नहीं हुआ। लक्षणों की सुझा की हान
 उपरोक्त लक्षणों को श्री आचार्य बालिवंद की आधीरता में उल्ल कर्तालय में शरीर को है।

श्री आचार्य बालिवंद
 श्री आधीरता (बालिवंद)
 लॉच अधिकारी अफिलवाय आगरा
 दि. 23/03/2025

उक्त केस में अपने बचाव पत्र में आप अस्तुत करने हेतु दिनांक 11/04/25 को भारतीय अक्ष अफिल
 मोरिस देकर आधीरता के दिनांक 7/04/25 को शुबह 10 बजे रैल कार्यालय पर बुलाया गया अफिल
 कार्तीयर सिंह पुत्र शुकेरा नि. 222 गरी कला विवेरा पी. 222 वामा तालाब आगरा कार्यालय में
 आरिष्ट होकर अपने बचान में लिखा की जिला पंचायत द्वारा सबक का निर्माण किया जा रहा
 जिसमें खेत की गेड पर हरे बबूत के पेड गीन वाली के कंधे पर जे.सी. वी द्वारा लव अहित उल्ल
 दिने जबकि आधीरता द्वारा बचान के साथ ऐसा कोई शान अस्तुत नहीं किया गया है।
 जिसमें यह लिख है कि उनके द्वारा बबूत को लव अहित नहीं उल्लव गया।

श्री आधीरता
 लॉच अधिकारी अफिलवाय अक्ष
 आगरा
 दिनांक 7/04/2025

लॉच निष्कर्ष

अब तक की तमागी विवेचनात्मक कार्यवाही बचान बायी, निरीक्षण एवम् शान व शीन लाले अक्ष दिने
 मोरिस बचान के आधा पर आधीरता कार्तीयर सिंह पुत्र शुकेरा नि. 222 गरी कला विवेरा पी. 222
 222 वामा तालाब आगरा। जे सी कच्चे शस्त्रे को पक्के शस्त्रे के निर्माण के अंतर्गत बबूत
 जे.सी. वी द्वारा उल्लव गया है। जो T.T.Z जोन के अंतर्गत आननीय सर्वोच्च-आधीरता
 नईपनी के किना अनुमति के किना पेड के कारण व उल्लव बन उपरोक्त है। आधीरता द्वारा
 T.T.Z के अक्ष के अंतर्गत हरे बबूत को हलना या उल्लवना उ. 50 अक्षों वृक्ष अक्ष

आधिसूचन 1976 की 4/10 के अन्तर्गत वन संप्रदाय किया गया उक्त आधिसूचन के विरुद्ध पण्डितजी का कार्यवाही करने हेतु केश को मा० न्यायालय दीवानी - आगरा में प्रेषित करने की संहिता की जाती है।

संलग्नक

- 1) H2 केश संख्या 15/मते०/2024-2025 की मुताबिक
- 2) नजरिमा नक्शा
- 3) फर्द वसामदगी
- 4) सुपुर्दगी नामा
- 5) ब्यान
- 6) नोटिस । शर्त

श. केश उपाध्याय
 वकील
 लतेहाबाद रेंज आगरा
 दिनांक 28/04/25

सेवा में प्रभाषीप निदेशक
 लतेहाबाद प्रभाग
 आगरा

महोदय,
 उक्त केश संख्या 15/मते०/24-25 की जांच श्री श. केश उपाध्याय वकील से करायी गयी। उनकी जांच आख्या के अनुसार आदिपुस्तक नम्बर 510 मुकेश नि० शर्दगी कस विसेय धाना ताजमज किला आगरा के दायर उक्त मजरी से अवैधरूप से वृक्षों को उखाड़ा गया है उक्त आदिपुस्तक के विषय में उ० प्र० अमीर वृक्ष संरक्षण आधिसूचन की धारा 4/10 के अन्तर्गत वन संप्रदाय किया गया है।
 आतः उक्त केश को मा० न्यायालय में पण्डितजी का कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय हेतु प्रेषित।

सहायक अधिकारी
 लतेहाबाद रेंज
 लतेहाबाद प्रभाग, आगरा

प्रामाण्य वाद सं० 15/कल-/१५-२५ . 200 . 9984

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, खण्ड (डिवीजन).....
उ.प्र. प्रामाण्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10
अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०..... दिनांक १२/०३/२५ अधिकार राजि.....

- 1- नाम, पिता का नाम और निवास - स्थान **जुमलार सिंह पुत्र सुकेश, निवासी शहीदा की कला विशेश, पोस्ट थेरई धाना लज्जांज कोंक बमरौली अरौरा जामाश**
- 2- साक्षी का नाम **अज्ञात**
- 3- कथित - अपराध का पूरा विवरण और दिनांक **दिनांक २२ मार्च २०२५ को करीब दोपहर २:३० बजे**
- 4- मूल्य **आपतन 3.657 शले भूपुर धनकर धाना निवेश फांदा बाहु निमित्त गश्त के दौरान देखा कि रास्ते के किनारे में आरक्ष वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ दिए हैं। देखा वृक्षों के वृक्षों को मोटाई क्रमशः २००, 15०, 9०, 15०, 15०, 8०, 1००, 8० cm हैं।**
- 5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय, दिनांक २२ मार्च २०२५ को करीब दोपहर २:३० बजे अपने दमराह की शाखांत व.र. के ग्राम शले भूपुर धनकर धाना निवेश फांदा बाहु निमित्त गश्त के दौरान देखा कि रास्ते के किनारे में आरक्ष वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ दिए हैं। देखा वृक्षों के वृक्षों को मोटाई क्रमशः २००, 15०, 9०, 15०, 15०, 8०, 1००, 8० cm हैं।

प्रथम प्रारंभ जांच अधिकाारी पर आस-पास के लोगों व ग्राम प्रधान से अन्वेषण करवा कि कच्चे को देखा उपाध प्राप्त वृक्षों को पकवा शस्ता बनाया जा रहा है। शस्ता बनाते समय रास्ते में अवशेष देखा वृक्षों के वृक्ष जड़ सहित उखाड़ दिए। रास्ते पर निरीक्षण करमवीर सिंह पुत्र सुकेश निवासी शहीदा की कला विशेश को देखा/ देखा द्वितीय निरीक्षण करमवीर सिंह पुत्र सुकेश निवासी शहीदा की कला विशेश को देखा/ देखा तृतीय निरीक्षण करमवीर सिंह पुत्र सुकेश निवासी शहीदा की कला विशेश को देखा/ देखा चतुर्थ निरीक्षण करमवीर सिंह पुत्र सुकेश निवासी शहीदा की कला विशेश को देखा/ देखा पंचम निरीक्षण करमवीर सिंह पुत्र सुकेश निवासी शहीदा की कला विशेश को देखा/ देखा छठम निरीक्षण करमवीर सिंह पुत्र सुकेश निवासी शहीदा की कला विशेश को देखा/ देखा

डी.पी.एस. वन अधिकारी
परिधि/वादा क्षेत्र
संगीत प्रमाण, आगरा

उपरोक्त आदि प्रमाणों के द्वारा उ.प्र. प्रामाण्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत वन अपराध किया है।
इसके अतिरिक्त के विरुद्ध 14-2 केस जारी कर सहे जायेंगे।
प्रार्थी
शुभम
जामाराम बनसिंह
निवेश की

फर्द सुपुर्दगी

मैं कि विलेन्द्र सिंह पुत्र श्रीमान सिंह निवासी शलेमपुर
 डानकरा पोस्ट फतेहाबाद थाना निलोहरा तहसील फतेहाबाद
 जिला शुआबा का रहने वाला हूँ

2- मैं कि विलेन्द्र सिंह द्वारा श्रीमान सिंह इकरार करता हूँ कि श्री श्रीमान सिंह पद वर शुक
 द्वारा दिनांक 22 मार्च 2025 समय बो. 2.30 के मा० व० अ० की धारा ५२/उ० प्र० ग्रा० व० स०
 अधिनियम की धारा १४ के अधीन बरामद/अभिग्रहीत निम्न वन उपज/ वन अपराध में प्रयुक्त
 सामग्री की सुपुर्दगी में लेने का प्रार्थी हूँ।

3- मैं कि विलेन्द्र सिंह द्वारा श्रीमान सिंह इकरार करता हूँ कि निम्न अभिग्रहीत वन उपज सम्पत्ति की वन
 विभाग के प्रतिनिधि द्वारा माँगने पर बिना किसी हीत हुज्जरा के वापस करूंगा। और सुपुर्दगी अवधि
 में इनकी पूर्ण देखभाल निःशुल्क/बिना किसी हर्जा खर्चा दावे के करूंगा।

सुपुर्दगी में लेने वाले अभिग्रहीत सामान का विवरण -

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
1.	इसके अक्षर	- 200 CM
2.	"	- 150 CM
3.	"	- 50 CM
4.	"	- 150 CM
5.	"	- 150 CM
6.	"	- 80 CM
7.	"	- 100 CM
8.	"	- 80 CM

गवाह - 1 हस्ताक्षर श्रीमान सिंह
 नाम श्रीमान सिंह
 पुत्र श्रीमान सिंह
 निवासी शलेमपुर डानकरा
 पोस्ट
 थाना निलोहरा
 तहसील फतेहाबाद
 जिला शुआबा

विलेन्द्र सिंह

सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
 सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता का नाम विलेन्द्र सिंह
 पुत्र श्रीमान सिंह
 निवासी शलेमपुर डानकरा
 तहसील फतेहाबाद
 थाना निलोहरा
 जिला शुआबा

गवाह - 1 हस्ताक्षर
 नाम
 पुत्र
 निवासी
 पोस्ट
 थाना
 तहसील
 जिला

दिनांक 22 मार्च 2025 को उपरोक्त बरामद/अभिग्रहीत वन उपज को बिना किसी हर्जे खर्चे के
 शर्त पर आज दिनांक 22 मार्च 2025 उपरोक्त सुपुर्दगी प्राप्त कर्ता श्री
 की सुपुर्दगी में दिया गया।

श्रीमान सिंह

सुपुर्द करने वाले अधिकारी
 नाम व पद श्रीमान सिंह
निलोहरा तहसील

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद


पत्रांक

दिनांक... 07/04/2025

नोटिस

श्री जमिंदार सिंह पुत्रजी बुकेरा निवासी उपरोक्त गाँव
बादशाही बाग को नोटिस से तामील किया जाता है। कि आपके विरुद्ध फतेहाबाद रेंज में वन अपराध संख्या 15/2025/24
भूमि अधिनियम 1976 की धारा 26(ज) (आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आप दिनांक 07/04/2025 को रेंज कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहाबाद बादशाही बाग तहसील परिसर फतेहाबाद में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष जॉच अधिकारी के समक्ष रखें। उपस्थित न होने की दशा में वाद माननीय न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही की जायेगी।

जॉच अधिकारी वन अपराध
 फतेहाबाद रेंज (आगरा)




तपास

अधिकांश सिद्ध मुद्रा सिद्ध करण वरि रघुपु पोस्ट सिद्ध ताना तासगांवा
 का रचना वाक हा का विभाग उपरिष्ठ प्रोत्साह करण अवैध अमान की सांगणें
 जो सिद्ध थापु पुआ सिद्ध संस्था में का विभाग उपरिष्ठ दिनांक २/५/०२ को
 उपरिष्ठ दिनांक अर्थात् पुनः हीरा उल्लास (सा) किना सिद्ध प्रमाण में तपास दे रहा
 कि जो सिद्ध संस्था में विभागेपापत करण साड्ड विभागे अमान जो रहा वा
 सिद्ध सिद्ध में सिद्ध हीरे कावुड के सिद्ध सिद्ध वरि न के सिद्ध वर ५००
 में सिद्ध सिद्ध वरि विभागेपापत में सिद्ध करण सिद्ध जो रहा ही ५००
 सिद्ध ५०० करण मुद्रा का ही मणा / अर्थात् सिद्ध पुनः हीरा हीरे वर सिद्ध मणा
 ही अमान ५०० जो साड्ड वर अर्थात् सिद्ध वी सिद्ध वरि सिद्ध सिद्ध
 सिद्ध वी सिद्ध सिद्धा सिद्ध सिद्ध ही ही आसडा पाना पाना ही

(Signature)

पुनः
 अधिकांश सिद्ध मुद्रा सिद्ध
 सिद्ध वरि रघुपु पोस्ट सिद्ध
 तपास - तासगांवा
 ६३९५०७७ ॥७

नदीप्रवा नक्शा, ईल केम अस्था 15/फर-24-25



नदीप्रवा नक्शा से श्रा
 बनाया गया है।
 24/3/25

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 फतेहाबादरेन्ज
 सा0 वा0 प्रभाग, आगरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, एत्मादपुर रेंज, आगरा

पत्रांक - 32 /35-3 दिनांक - 07/08/2025

07/08/2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

विषय - मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-255/2025
जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के संबंध में।
सन्दर्भ - आपके पत्रांक-672/35-3 दिनांक 01/08/2025।

महोदय,


उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है तत्समय दैनिक जागण में प्रकाशित खबर "शाहदरा में रेलवे लाइन के किनारे चली आरी" का दिनांक 21/04/2025 को स्थलीय निरीक्षण रेंज टीम के साथ किया गया था। बिन्दुवार जांच आख्या निम्न प्रकार है।

आग लगाकर मिटाए गए साक्ष्य - आग वन क्षेत्र से बाहर निजी भूमि के एक हिस्से पर लगायी गयी थी, परन्तु राख में पेड़ की टहनियां व जड़ को जलाया गया है ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाए गये।

नाले में बहाए पेड़ों की टहनियां - जॉच में नाले में प्राकृतिक रूप से गिरी हुई पुरानी टहनियां या पेड़ जो आधा पानी में गिरा हुआ अटका पड़ा हुआ था।

प्रकाशित फोटो में सीमा स्तंभ 30 के पास 2 जुड़े हुए पेड़ों में से एक कटा हुआ पेड़ दिख रहा है - सीमास्तंभ 30 के पास पहुंचने पर फोटो जैसा कोई भी कटा हुआ पेड़ नहीं मिला। भ्रामक फोटो कहीं और की है। फोटो को सीमा स्तंभ 30 के पास का गलत प्रकाशित किया गया है एवं आस पास भी सघन जंगल में इस तरह का कोई कटा हुआ पेड़ नहीं मिला।

इन पिलर के आस पास कटे गये पेड़ (38,39,40,41,42,80,81,82,88,89) - दिनांक- 18/04/2025 को वन विभाग एवं राजस्व का संयुक्त सर्वे कार्य किया गया था जिसमें सर्वे हेतु प्रोसोपिस की छिटपुट झाड़ियों को हटा कर चिन्हांकन कार्य किया गया था। इसमें किसी पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचाई गयी थी।



अतः सूचना श्रीमानजी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।
संलग्नक - निरीक्षण/जाँच के फोटो।

भवदीया
क्षेत्रीय वन अधिकारी
एत्मादपुर रेंज



सेवा में

श्री प्रेम वनाधिकारी
रत्नापुर रेंज आगरा

विषय: अवैध कटान के सव-व में।

महोदय,
 उक्त विषय में निवेदन सहित अवगत कराया है कि शाहपुर क्षेत्र कान्हा गौशाला के सामने अवैध कटान की दिनांक 20/09/25 को प्रार्थी को प्राप्त हुई थी व समाचार पत्र में भी दिये गये पर जारी चलने की खबर प्रकाशित हुई थी इस कथन में उसी दिन प्रार्थी पर अपने द्वारा रंजीत कुमार व नरकान के साथ गश्त व जांच की गई जांच में नाम आरक्षित वन भूमि सीमा से लगते निजी खसरा नं. 283, व 285 में से प्रोसेपिस ज्यूनिफ्लोरा (विलाप्रली व बूट) की शाईडों को साफ किया गया था जिसकी गोलार्ध लगभग 0-25 cm (Diameter class (0-1) पायी गयी जिसके सव-व में भैरे द्वारा प्राथमिकी वज कराने हेतु घाना ट्रान्स यमुना में प्राथमिकी पत्र दिया गया था भैरे द्वारा श्री शाईडों को साफ करने वाले लोगों की जानकारी प्राप्त करने व प्रयास किया गया था जानकारी में कोई नाम स्पष्ट नहीं हुआ शाईडों का कटान स्थानीय लोगों द्वारा अजी उपयोग के लिए किया गया था निजी खसरे की जमीन पर अवैध कटान के अवशेष प्राप्त हुए जानकारी प्राप्त करने पर पल चला गया भैरे पर भुम्भे वाले लोगों द्वारा कुछ कटाई जलाया गया है तथा कोइ जलायी नहीं जलायी गयी है

अतः सूचना आपकी सेवा में उपरि है

प्रार्थी
श्री कृष्ण
विलास गौड़
व.र.

SEP 01, 2025 10:58

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी किरावली रेंज, आगरा

पत्रांक 35 / 35-1

दिनांक 05, अगस्त 2025

सेवामें,

प्रभागीय निदेशक
सा. वा. प्रभाग, आगरा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित आधिकारण नई दिल्ली में जोड़ित ओ. ए. सं० 255/2025
जगत प्रसाद नेहरिया वनाम उ० प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 672/35-3 दिनांक 01/08/2025

महोदय, निवेदन है कि किरावली रेंज अर्न्तगत मा० राष्ट्रीय हरित आधिकारण नई दिल्ली में जोड़ित ओ. ए. संख्या 255/2025 जगत प्रसाद नेहरिया वनाम उ० प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 23/4/2025 को किरावली-अदरम मार्ग Km 2.50 चार्की परती ग्राम पुरामना, पन्ना पैशेल पम्प के पास सिजी रोड के गाय सेव्या 15 में नील पेड़ शिराम गोलार्ड प्रमश: 120, 85, 80 से.मी. एक पेड़ नील गोलार्ड 130 से. मी. एक पेड़ के सिया सेमिया गोलार्ड 180 से. मी. तथा इसके अनिरीम्त एक पेड़ फरास गोलार्ड 132 से. मी. संरक्षित वनाभूमि से उखाड़े व काटने का अपराध किया गया है। इस वन अपराध के लिये रेंज केस संख्या 02/किरावली/2025-26 दिनांक 24/04/2025 को ① नेत्रपाल शो-पमरवनलाल किं 628/1 एन.आर. गौतम बुद्ध पार्किंग स्थल आवास विकास कालोनी बोदला आगरा ② हरि सिंह शो वलैराम ③ पद्म शो कावीन्दरन ④ प्रकाश शो पूरन विवालीगण पुरामना किरावली आगरा के विरुद्ध उजरा किया गया है। नौके पर मिले प्रकाश शो जगत कूर फड परामदी वनाकर उर प्रकाश रेंज कार्यालय परिसर रखा गया है। तथा थाना किरावली में एफ.आर.आर. सेव्या 0112/2025 दि० 24/4/2025 को दर्ज करवा गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 33/35-1 दिनांक 01/08/2025 को थाना किरावली में F.I.R सेव्या 0112/2025 की अवगत लिपि हेतु पत्र लिखा गया है, जिसके क्रम में उम्त. वाद आरोप पत्र संख्या 88/2025 दिनांक 10/05/2025 को मा०-पायालय डेपुटि की गयी है।

महोदय उम्त. केस में दर्ज अपराधों को जॉन्ट आधिकारिक द्वारा अपना पचाव पस्त रखने हेतु दिनांक 22/05/2025 को वजरिये नोटिस देकर दिनांक 27/05/2025 को रेंज कार्यालय किरावली पर पुराया गमा परन्तु कोई भी व्याप्ति रेंज कार्यालय किरावली पर उपस्थिति नहीं हुये है।

अतः आशा है कि आपका सेवामें वादर उपरि है।

- संलग्नक न 1. H-2 केस की दामा प्रतिलि
- 2. फड परामद की दामा प्रतिलि
- 3. F.I.R की दामा प्रतिलि
- 4. नोटिस की दामा प्रतिलि

भुवदीप
(ए. सी. उपाध्याय)
भत्री वन अधिकारी
किरावली रेंज, आगरा

TC/CC
Mo, Ag 25
28/8

राजिबांद सं० 2025-26

प्रमाणीय वाद सं०

203

10111

वन विभाग, ज० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, खुण्ड (डिवीजन) आगरा
1. उपर्युक्त गांधीवादी वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10
2. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33
अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 24/04/2025 अतिरिक्त राजि किरावली

1- नाम, पिता का नाम और निवास - स्थान

2- साक्षी का नाम श्री भीष्म सिंह

- ① नेत्रपाल 5/0 चम्बन लाल निवासी 628/1 एन.धर
- गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल, आवास विकास कॉलोनी बौद्ध
- ② हरि सिंह 5/0 बालेशराम } नि. पुरामना चाना
- ③ मधु 5/0 लान्चारी राम } किरावली, आगरा
- ④ प्रकाश 5/0 प्ररन

3- कथित - अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

प्लॉट - 4/10 - 20000 - 00
4- मूल्य 31670 m²

प्लॉट - 33 मूल्य - 4000 - 00
5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

ग्राम पुरामना में निजी खेत से 5 पेड़ काटना शीशम 120cm, शीशम 85cm, शीशम 80cm, केशिया 2 श्यामिमा गोलारि - 180cm, नीम गोलारि 132cm एषम 1 पेड़ वन विभाग की निजी भूमि (सरसित भूमि) से फरस का गोलारि 132cm का उखाडना ।

महोपय

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

प्रथम प्रांश्री 51 फेडर सिट वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया है।

अज्ञ दिनांक 23/04/2025 को समग्र लमग्र सुबह 10:00 बजे हमराह श्री भीष्म सिंह वनरक्षक के साथ अदमेरा रमशा मार्ग पर गस्त करते हुये जा रहे थे तब मुखबिर बका सूचना दी गमी की किरावली- अदमेरा मार्ग 1km 2.5 ग्राम पुरामना चाना पेड़ो पम्प के पास बायीं पट्टी पर खेत गारा संख्या 15 में पेड़ उखाडे व काटे गये हैं। जिसमे 3 पेड़ शीशम गोलारि क्रमशः 120cm, 85cm, 80cm व 1 पेड़ नीम गोलारि 30cm, व 1 पेड़ केशिया श्यामिमा गोलारि 180cm है तथा किरावली रेंज. आगरा 1 पेड़ फरस जिसकी गोलारि 132cm है वन विभाग की सरसित भूमि से उखाडा गया है। महोपय उक्त कहे हुये पेड़ों के सम्बन्ध में मुखबिर ने बताया कि महा पर नई कोलोनी का निर्माण किया जा रहा है। खेत मालिक हरि सिंह पुत्र बालेशराम निवासी पुरामना एषम मधु पुत्र लान्चारी राम निवासी पुरामना ने कालोना नेत्रपाल सिंह पुत्र चम्बन लाल के कहने पर लकड़ी काटने वाले प्रकाश पुत्र प्ररन से कहवाये है हमने कहे पेड़ों के फोले की परामपरी कर अपनी सुपुदगी में लकड फर्द बनायी जो संग्रहणक है। लकडी को रेंज नामनिष्म किरावली में सुरक्षित रखवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों ने ग्रामीण वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 एष भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया है। महोपय उक्त क्षेत्र T.T.Z क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को अनुमति से बिना वृजों का पालन करना प्रतिषिद्ध है। अतः रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी किरावली रेंज. आगरा 1 पेड़ फरस जिसकी गोलारि 132cm है वन विभाग की सरसित भूमि से उखाडा गया है। महोपय उक्त कहे हुये पेड़ों के सम्बन्ध में मुखबिर ने बताया कि महा पर नई कोलोनी का निर्माण किया जा रहा है। खेत मालिक हरि सिंह पुत्र बालेशराम निवासी पुरामना एषम मधु पुत्र लान्चारी राम निवासी पुरामना ने कालोना नेत्रपाल सिंह पुत्र चम्बन लाल के कहने पर लकड़ी काटने वाले प्रकाश पुत्र प्ररन से कहवाये है हमने कहे पेड़ों के फोले की परामपरी कर अपनी सुपुदगी में लकड फर्द बनायी जो संग्रहणक है। लकडी को रेंज नामनिष्म किरावली में सुरक्षित रखवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों ने ग्रामीण वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 एष भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया है। महोपय उक्त क्षेत्र T.T.Z क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को अनुमति से बिना वृजों का पालन करना प्रतिषिद्ध है। अतः रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

परच बरामदगी

दिनांक - 23/01/2025 - ... को समय 10:00 ...
 परच बरामदगी: उपरोक्त (रा) गाँव ... ग्राम प्रागणा ... के पुराने ...
 पर निम्नलिखित पत्राचार की तारीख में भारतीय का भूमि निगम की धारा 23 ...
 उ० प्र० प्राचीन वृक्ष संरक्षण भूमि निगम की धारा 17 की अधीन निम्नलिखित वन उपज/सम्पत्ति को
 बरामद किया गया जो भारतीय वन भूमि निगम की धारा ... का न० प्र० वृक्ष संरक्षण
 भूमि निगम की धारा 17 के अधीन किए गए ...
 (बरामद का संक्षिप्त विवरण) बरामद के अंतर्गत
 अभिलेखित किए जाने योग्य है।

बरामद की गई सम्पत्ति का ब्यौरा

वन उपज/प्रमाण/गैर सरकारी सम्पत्ति (धरोप ससे तथा अन्य कागजात सहित)

क्र०	पुष्पति	ऊँचाई	ओरिजि	पुष्पति	उम्र	वै.सं.
1	श्रीधाम	170cm	60cm	13 फेरिया	220	122
2	श्रीधाम	127cm	73cm	14 केशिया	182	134
3	श्रीधाम	160cm	46cm	15 केशिया	132	78
4	श्रीधाम	212cm	113cm	16 केशिया	125	79
5	श्रीधाम	148cm	67cm	17 केशिया	105	45
6	श्रीधाम	162cm	90cm	18 नीम	240	130
7	श्रीधाम	147cm	53cm	19 नीम	145	52
8	श्रीधाम	130cm	88cm	20 नीम	140	68
9	श्रीधाम	202cm	61cm	21 नीम	101	78
10	फरास	106cm	133cm	22 नीम	152	42
11	फरास	184cm	119cm	23 नीम	20	56
12	फरास	112cm	104			

बरामद करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम, पद

1. पुनीत पाल (हस्ताक्षर) Punit
2. शीकन सिंह (हस्ताक्षर) Shikan

दायाँ
 दायाँ सिंह फाकि

दिनांक 23/01/2025

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District पश्चिमी (कमिश्नरेट P.S. किरावली Year 2025
(जिला): आगरा) (थाना): (वर्ष):
FIR No. 0112 Date & Time of FIR 24/04/2025 17:21
(प्र.सू.रि. सं.): (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day बुधवार Date From 23/04/2025 Date To 23/04/2025
(दिन): (दिनांक से): (दिनांक तक):
Time Period पहर 4 Time From 10:00 बजे Time To 10:00
(समय अवधि): (समय से): (समय तक): बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 24/04/2025 Time (समय): 17:21 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 049 Date & Time 24/04/2025 17:
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय): 21 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S.

Beat No.

1. (a) (थाना से दूरी और दिशा):

पूर्व, 4 किमी (बीट सं.):

(b) Address किरावली अछनेरा मार्ग km 25, ग्राम पुरामना चन्द्रा पेट्रोल, के पास वायी पटरी पर
(पता): खेत गाटा, सं 0 15

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.

District(State)

(थाना का नाम):

(ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): पुनीतपाल बघेल

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	बीट अछनेरा रेंज किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	बीट अछनेरा रेंज किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8433004997

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	हरि सिंह		पिता का नाम : बालेराम	1. पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	पप्पू		पिता का नाम : लाचारी राम	1. पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : चक्खन लाल	1. 628/1, एन0आर0 गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल, आवास विकास कोलोनी वोट, लज्जत शिवाजी नगर (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
4	प्रकाश		पिता का नाम : पूरन	1. पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थानाध्यक्ष महोदय थाना किरावली आगरा विषय:- FIR दर्ज कराने हेतु महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 23/04/2025 को समय लगभग सुबह 10.00 बजे हमराह श्री भीकम सिंह वन रक्षक के साथ अछनेरा रायभा मार्ग पर गस्त करते हुये जा रहे थे तब मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की किरावली अछनेरा मार्ग KM2.5 ग्राम पुरामना चन्द्रा.पेट्रोल के पास बायीं पटरी पर खेत गाटा संख्या 15 में पेड उखाड़े व काटे गये है जिसमे 3 पेड शीशीम गोलाई क्रमशः 120 CM, 85CM, 80CM व 1 पेड नीम गोलाई 130 CM व 1 पेड केशिया श्यामिया गोलाई 180CM है तथा 1 पेड फरास जिसकी गोलाई 132 CM वन विभाग की संरक्षित भूमि से उखाडा गया है। महोदय उक्त कटे हुये पेडो के सम्बन्ध में मुखबिर ने बताया कि यहा पर नई कलोनी का निर्माण किया जा रहा है खेत मालिक हरि सिंह पुत्र बालेराम निवासी पुरामना एवम पप्पू पुत्र लाचारी राम निवासी पुरामना ने कलोनाइजर नेत्रपाल सिंह पुत्र चक्खन लाल निवासी 628/1 एन0आर गौतम

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

बुद्ध पब्लिक स्कूल आवास विकास कलोनी बोदला आगरा के कहने पर लकड़ी काटने वाले प्रकाश पुत्र पूरन निवासी पुरामना से कटवाये है। हमने कटे पेडो के बोटो की बरामद कर अपनी सुपुर्दगी में लेकर फर्द बनायी जो संलग्नक है। लकड़ी को रेंज कार्यालय किरावली में सुरक्षित रखवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों ने ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया है महोदय उक्त क्षेत्र T.T.2 क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमे मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अनुमति के बिना वृक्षों का पातन करना प्रतिबन्धित है महोदय प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। प्रार्थी sd अंग्रेजी Punit पुनीत पाल बघेल वन संरक्षक बीट अछनेरा रेंज किरावली संलग्नक फर्द बरामदगी दिनांक -23/04/2025 मो0-8433004997 नोट-मैं है0का0 649 मुकेश कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा शब्द व शब्द अंकित की गई है।

13. Action taken:

Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) AMIT KUMAR
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank SI (Sub-Inspector)
(पद):

No. to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

District

(ज़िला):

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge.

Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS KIRAWALI

Rank I (Inspector)

No. 7839870599

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 22-5-2025

सेवा में,
 नाम श्री श्री. राजेश कुमार पुत्र श्री श्री. राजेश कुमार
 निवासी 628/1 एन० अपर, श्री. राजेश कुमार पोस्ट तोरण
 थाना राजेशपुर जिला अजमेर
 रजि. सं. रेंज केस सं०- 05/निग०/ 2025-26

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा
 दिनांक 23-11-2025 को समय 10:00 बजे वन क्षेत्र/ग्राम पुलगाँव
 में अनाधिकृत रूप से वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-2025
 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय राजेशपुर पर
 उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव
 तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है
 और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन
 अधिनियम/ग्राणीय एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक
 कार्यवाही की जाएगी।

राजेश
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 22-5-2025

संवा में
 नाम श्री हरि सिंह पुत्र श्री ला. के. राम
 निवासी पुरावाली पोस्ट वि. 21.1.01
 थाना वि. 21.1.01 जिला उत्तरांचल

सदर:- रेंज केस सं- 02/1/2025/2025-26

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23-11-2024 को समय 11:45 बजे वन क्षेत्र/ग्राम वि. 21.1.01, 950, 1000 में अनाधिकृत रूप से वि. 21.1.01, 1800, वि. 1500, वि. 1500 वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-2025 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय वि. 21.1.01 पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्राणीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आराभिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 27-5-2025

संवा में
 नाम श्री पुत्र श्री
 निवासी पोस्ट
 थाना जिला

सदर- रेंज केस सं०-/...../.....

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23-4-2025 को समय वन क्षेत्र/ग्राम में अनाधिकृत रूप से वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-2025

को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/ग्रामीण कार्यालय पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

.....
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 22.5.2025

सेवा में


नाम श्री प्रकाश पुत्र श्री पूजन

निवासी पुलामना पोस्ट किरावली

थाना किरावली जिला आगरा

सदम- रेंज केस सं- 02/किरावली/2025-26

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23.11.2025 को समय 12.00 बजे वन क्षेत्र/ग्राम पुलामना में अनाधिकृत रूप से 120cm, 85cm, 80cm वन अपराध किया गया है।
अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27.5.2025 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपरिथत हांकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपरिथत नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रागीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय:- क्षेत्रीय वन अधिकारी आगरा शहर रेंज आगरा
पत्रांक- 95/33-1 आगरा, दिनांक 07 अगस्त, आगरा।
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सा0वा0प्रभाग, आगरा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-255/225 जगनप्रसाद तेहरिया वनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-672/35-3 दिनांक-01.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में कृष्णापुरी गढी भदौरिया स्थित पार्क की जमीन पर लगे अर्जुन, अलस्ट्रोनिया, अशोक एवं पाम के दो वृक्ष जिनकी तूठ गोलाई क्रमशः 145, 125, 110, 110 एवं 140 सेमी. को दिनांक-26.04.2025 से 27.04.2025 की सुबह तक गिरा दिया गया। मौके से लकड़ी को बरामद कर डबल फाटक पौधशाला पर सुरक्षित रखवा दिया गया। तथा उक्त स्थल से काटे गये वृक्षों के वन अपराध में केदारनाथ पुत्र घनश्याम बाबू नि0-09/3/2 सेन्ट जान्स रोड नियर अंकुर डेयरी बाग मुज्जफर खां थाना-हरीपर्वत एवं मुकेश कुमार यादव पुत्र नामालूम मो0-8077550781 के विरुद्ध थाना-जगदीशपुरा में एफ.आई.आर.संख्या-241 दिनांक-27.04.2025 दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर. की छायाप्रति संलग्नक है। मौके पर ली गयी फर्द बरामदगी की छायाप्रति संलग्न है। आरोप पत्र थाना जगदीशपुरा से सहायक पुलिस आयुक्त लोहामण्डी, आगरा में भेजा गया है जो उक्त कार्यालय में न्यायालय भेजने की प्रक्रिया में है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

07/08/2025
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहर रेंज, आगरा

वारी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): नगर (कमिश्नरेट आगरा)
P.S. (थाना): जगदीशपुरा Year (वर्ष): 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0241
Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 27/04/2025 19:41

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन):	दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से):	26/04/2025	Date To (दिनांक तक):	27/04/2025
Time Period (समय अवधि):		Time From (समय से):	00:00 बजे	Time To (समय तक):	00:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 27/04/2025 Time (समय): 19:41 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 052 Date & Time 27/04/2025 19:41 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, 02 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address कृष्णापुरी गढी भदौरिया स्थित, पार्क
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री अखिलेश

(b) Father's Name (पिता का नाम): श्री उत्तम सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हाल तैनाती वन रक्षक शहर रेज , आगरा ,नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	नगला अकोश थाना ,बलदेव,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7451801630

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	केदार नाथ		पिता का नाम : घनश्याम बाबू	1. 9/3/2, सैंट जॉस रोड नियर अंकुर डेरी, मुजफ्फर खां थाना, हरि पर्वत, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	मुकेश कुमार यादव		पिता का नाम : नामालूम	1. अजात, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	--

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी लिखित वादी.....सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुरा आगरा महोदय, निवेदन है कि कृष्णापुरी गढी भदौरिया स्थित पार्क की जमीन पर लगे अर्जुन ठूठ गोलाई 145 सेमी. अलस्ट्रोनियां ठूठ गोलाई 125 सेमी, अशोक 110 सेमी ठूठ गोलाई, पाय ठूठ गोलाई 110 सेमी व 140 सेमी. है। उक्त वृक्षों को आज रात्रि 26-4-25 से 27-4-25 की सुबह तक काटकर गिरा दिया गया लकड़ी मौके पर पडी मिली जिसकी फर्द तैयार कर लकड़ी को सुपुर्गदगी में लेकर शहर रेंज की उवल फाटक पौध शाला पर रखवा दिया है। कृष्णापुरी गढी भदौरिया पार्क से वृक्षों को अवैध रूप से काटने का कार्य केदार नाथ पुत्र घनश्याम बाबू निवासी 9/3/2 सैंट जॉस रोड नीयर अंकुर डेरी बाग मुजफ्फर खां थाना हरीपर्वत एवं मुकेश कुमार यादव पुत्र नामालूम मो0- 8077550781 द्वारा काटकर उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अपराध किया है। अतः इनके विरुद्ध उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर कटाकर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। संलग्न:- फर्द वरामदगी प्रार्थी एसडी अंग्रेजी अपठित अखिलेश वनरक्षक शहर रेंज आगरा मो0 745180163 नोट:----मैं का0 4948 सौरभ पाल प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल व कायमी मेरे द्वारा शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित की गयी।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

अलावा तकनीकी त्रुटि के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) RAVITA Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): CHAUDHARY (पद):

No. to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District

(थाना):

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ.ए.सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):


Signature of Officer in charge.

Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Police Station

Rank I (Inspector)

No. 9454402737

फर्द बरामदगी

आज दिनांक..... को समय..... बजे, पटनास्थल.....
 27-04-2025 ॥ वजे मुहूर्त बरामपुरी गढी/कृष्ण

भूकरीपा में पाके व अनेक रूप के वन उपज/सम्पत्ति को बरामद किया गया जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 26/89 या वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/90 के अधीन किये गये।

(अपराध का संक्षिप्त विवर)

अपराध के अन्तर्गत अभिगृहीत किये जाने योग्य हैं।

बरामद की गयी सम्पत्ति का ब्यौरा

वन उपज/प्रकृष्ट/गैर सरकारी सम्पत्ति (अथैव गड़ने तथा अन्य कागजात सहित)

क्र.सं.	प्रजाति	गोल/सैमी	लम्बाई/सैमी	क्र.सं.	प्रजाति	गोल/सैमी	लम्बाई/सैमी
1-	अर्जुन	70 सैमी	160 सैमी	1-	अशोक	110 सैमी	150 सैमी
2-	—	90 "	140 "	2-	—	90 "	145 "
3-	—	88 "	110 "	3-	—	85 "	140 "
4-	—	55 "	35 "	—	—	—	—
5-	—	40 "	110 "	—	—	—	—
6-	—	70 "	120 "	1-	पाप	100 "	130 "
7-	—	65 "	100 "	2-	—	90 "	130 "
8-	—	65 "	115 "	3-	—	80 "	110 "
9-	—	50 "	115 "	4-	—	85 "	130 "
10-	—	45 "	100 "	5-	—	95 "	135 "
11-	—	85 "	100 "	6-	—	100 "	100 "
12-	—	60 "	125 "				
13-	—	45 "	50 "				
1-	अलकंद प्रजाति	110 "	125 "				
2-	—	105 "	115 "				
3-	—	65 "	100 "				
4-	—	80 "	120 "				
5-	—	80 "	100 "				
6-	—	75 "	100 "				
7-	गवक (हस्ताक्षर, नाम, पद सहित पूरा पत्र)	70 "	140 "				

हस्ताक्षर, नाम, पद सहित पूरा पत्र
 सरकारी कर्मचारी हो तो हस्ताक्षर
 नाम व पद तारीख सहित

बरामद करने वाले अधिकारी
 के हस्ताक्षर, नाम, पद

1-.....
 2- सदीप वन रक्षक
 3-.....
 4-.....

MA -
 (हस्ताक्षर)
 वन रक्षक
 27-04-2025



Ashutosh Tiwari <ashu.tiwari9205@gmail.com>

Service of Reply filed by UPPCB

1 message

Ashutosh Tiwari <ashu.tiwari9205@gmail.com>

Tue, Aug 26, 2025 at 6:22 PM

To: Shivangi Rajawat <Shivangirajawat121@gmail.com>, csup@nic.in, Secy-moef@nic.in, dmagr@nic.in

Sir,

I am serving you with the advance copy of the Reply filed by UPPCB in Original Application No. 255/2025 in titled "Jagan Prasad Teheria Vs State of U.P. & Ors." being filed before the National Green Tribunal.

Regards,

Adv. Aditya vaibhav Singh

Counsel UPPCB

A-394, defence colony, New Delhi- 110024

**Reply on behalf of UPPCB in jagan prasad teheriya.pdf**

19478K